

**निविदा विज्ञापित**

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का विजन डोक्यूमेंट " उत्तराखण्ड विजन-2030" की अन्तिम रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित/मुद्रित कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अधीन निम्न प्रतिबंधों के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	जी०एस०टी० की दर
	<p align="center"><b>" उत्तराखण्ड विजन-2030"</b> <b>पुस्तिका</b></p> <p>1-Total No. of Pages-380 apx. 2- Size- 8.5"x11" 3- Inner Page- 100gsm Mangomatt 4- Cover Page- 300gsm Mangomatt 5- Printing- Multicolor 6-Binding/ Lamination- Perfect/Thermal</p>	<p>1- 500 पुस्तकों तक प्रति पुस्तक की दर-</p> <p>2- 750 पुस्तकों तक प्रति पुस्तक की दर-</p> <p>3- 1000 पुस्तकों तक प्रति पुस्तक की दर-</p>	

- 1- निविदादाता फर्म व्यापार कर/ आयकर में पंजीकृत होनी आवश्यक है।
- 2- निविदा प्रपत्र दिनांक ~~24/07/2018~~ से किसी कार्य दिवस में कार्यालय राज्य योजना आयोग, योजना भवन, (विश्वकर्मा भवन), कमरा नं०-413 सचिवालय परिसर, देहरादून से रू० 500.00+90.00 (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) =590.00 (रू० पांच सौ नब्बे मात्र) नकद भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है।
- 3- निविदा के साथ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग, देहरादून के पक्ष में रू० 10000.00 की जमानत धनराशि एफ०डी०आर०/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- 4- निविदा मुहर सील बंद लिफाफे में दिनांक ~~06/08/2018~~ 2018 के अपरान्ह 2.30 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा इसी तिथि को सांय 3.00 बजे निविदायें समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सायं खोली जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- मुद्रित की जाने वाली पुस्तिका को मुद्रित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अन्तिम निर्णय से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। अन्यथा गलती पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म जिम्मेदार होगी।
- 6- निविदा स्वीकृत के तीन दिन अन्दर सफल निविदादाता को अनुबन्ध के मूल्य के 5% कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में डिमांड के रूप में जमा करनी होगी।
- 7- चयनित फर्म द्वारा अंकित निविदा दरों पर प्रकाशन सम्बन्धी कलर डिजायनिंग कार्य/पुस्तकों की आपूर्ति 15 दिन में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- 8- निविदा समिति गुणावगुण के आधार पर दरों का परीक्षण करते हुये निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 9- उक्त विज्ञापन राज्य योजना आयोग की वैबसाईड [www.spc.uk.gov.in](http://www.spc.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

  
प्रभारी सचिव,

राज्य योजना आयोग,

योजना भवन (विश्वकर्मा भवन),

दूरभाष - 0135-2710868